RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

Youngster

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · MARCH 2020 · PAGES 4 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

निर्भया के दोषियों को फाँसी से देश की बेटिया को मिला नया आत्मविश्वास

देश भले इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहा हो लेकिन उन बड़े वायरसों जिन्होंने निर्भया को दर्दनाक मौत दी थी, कानून ने उन्हें फाँसी पर लटका दिया। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड में करीब सवा सात साल के बाद इंसाफ हुआ। पूरा देश रात भर जागता रहा और सुबह साढ़े पांच बजे तक का इंतजार करता रहा कि कब निर्भया की आत्मा को शांति देने वाली, देश की बेटियों को हौसला देने वाली, देश के कानून पर विश्वास को और प्रगाढ़ कर देने वाली खबर आयेगी। निर्भया को न्याय दिलाने की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, पिछले तीन महीने से और खासकर फाँसी से पहले देर रात को जिस प्रकार निर्भया के वकील कभी हाईकोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाते रहे और कानून को उलझाने का षड्यंत्र करते रहे वह सब काम नहीं आया और 20 मार्च की सुबह लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई। निर्भया के दोषियों ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिल गयी लेकिन यह भी सुनिये की सजा का समय नजदीक आते ही उनकी रूह कांपने लगी थी और वह रोने लगे थे, गिड़गिड़ाने लगे थे लेकिन शायद उन्हें निर्भया का वह रोना, गिड़गिड़ाना और तड़प–तड़प कर दम तोड़ना याद नहीं रहा होगा। बताया गया है कि फांसी से ठीक पहले निर्भया के चारों दोषियों में से विनय की हालत सबसे खराब थी। बताया गया है कि आखिरी लम्हों में वह बचने की हर कोशिश करता दिखा। जेल के अधिकारियों के मुताबिक वह फूट–फूट कर रो रहा था, पैर पकड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। फांसी के लिए ले जाते समय वह वहां मौजूद अधिकारियों से गुहार लगाता रहा कि उसे उसके वकील से मिलवा दो क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसका वकील उसे फांसी से बचा लेगा। निर्भया के दोषियों के वकील ने जिस तरह अपनी तिकड़मों के चलते कानून को उसकी पेचिदगियों में उलझाया और तीन डेथ वारंट टलवाने में कामयाब रहे उससे ही दोषियों के मन में यह आत्मविश्वास नजर आ रहा था कि वह मौत को फिर मात दे देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोषियों के वकील भले इस बात पर गर्व महसूस करें कि उन्होंने मामले को इतना टलवाया लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि पूरी दुनिया ने भारतीय कानूनों की निष्पक्षता को देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि आरोपी कितने गंभीर से गंभीर मामलों का दोषी क्यों ना हो, उसे भी बचाव का और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। मौत से चंद घंटों पहले निर्भया के दोषियों ने जिस तरह अपने वकील के माध्यम से आधी रात को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई वह दर्शाता है कि उन्हें हर वो मौका प्रदान किया गया जो संविधान के मुताबिक उन्हें मिलना चाहिए था। निर्भया के दोषियों को फाँसी दिये जाने के बाद तिहाड़ जेल के बाहर जिस तरह लोगों ने जश्न मनाया, श्निर्भया अमर रहेश और श्भारत माता की जयश के नारे लगाये वह दर्शाता है कि जनभावना का सम्मान हुआ है। निर्भया के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद जिस तरह सड़कों पर भीड़ थी वैसी ही भीड़ आज देश के विभिन्न शहरों में देखने को मिल रही है लेकिन पहली भीड़ दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग के लिए आंदोलन करने वालों की थी और दूसरी भीड़ निर्भया को इंसाफ मिलने का जश्न मनाने के लिए थी। रात भर से महिलाएं जिस तरह तिहाड़ जेल के बाहर खड़ी रहीं और सुबह जैसी भीड़ जुटी वह दर्शाता है कि महिलाओं में नया आत्मविश्वास जगाने के लिए निर्भया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना बेहद जरूरी हो गया था। हैदराबाद रेप और मर्डर घटना के बाद दोषियों का जो एनकाउंटर हुआ था उसको जनता ने सही ठहराया था, यदि निर्भया के दोषियों का मामला और टलता तो यह कानून के प्रति अविश्वास बढ़ाता। बहरहाल, निर्भया की माँ ने सही कहा है कि अब महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी चाहिए कि कानून में ऐसे बदलाव करें ताकि निर्भया के वकील ने जिस तरह कानून को उलझाया वैसा कार्य कोई दूसरा नहीं कर सके और ऐसे जघन्य अपराधों के दोषी को दया याचिका दाखिल करने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए।

MP CM Shivraj Singh Chouhan Passes Floor Test; Sulking Congress Abstains

A day after assuming office, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan passed the floor test in the state Assembly on Tuesday by voice vote. No member of the opposition Congress was present in the House. As the special session of the state Assembly began, Chouhan moved a one-line proposal to seek trust of the House, which was endorsed by members through the voice vote. Senior BJP MLA Jagdish Devda, one of the members of the speaker's panel, was on the chair of Speaker. After Chouhan passed the floor test, the House was adjourned till March 27. In the morning, the BJP issued whip to its MLAs to support the trust vote. Earlier, Kamal Nath resigned as chief minister of the state last week after his government lost majority following the resignation of 22 Congress MLAs.

Chouhan, 61, is back as Madhya Pradesh chief minister for a record fourth term.

एक कदम अंधेरे से उजाले ?की ओर

ज्ञान इंसान को जीवन के सभी अंधेरों से बाहर निकाल एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है. इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जिस देश और सभ्यता ने ज्ञान को अपनाया है उसका विकास अभूतपूर्व गति से हुआ है. शिक्षा के महत्व का वर्णन करना शब्दों में बेहद मुश्किल है

यूं तो साक्षरता के लिए मात्र एक दिन देकर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते लेकिन इस एक दिन फैलाई गई जागरुकता की लहर आने वाले दिनों में साक्षरता के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है

साक्षरता का अर्थ?

साक्षरता सिर्फ किताबी शिक्षा प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होती बल्कि साक्षरता का तात्पर्य लोगों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरुकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बनाना है. साक्षरता गरीबी उन्मूलन, लिंग अनुपात सुधारने, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से निपटने में सहायक और समर्थ है. आज विश्व में साक्षरता दर सुधरी जरूर है फिर भी शत–प्रतिशत से यह कोसों दूर है. वैश्विक स्तर पर देखें तो हम पाएंगे कि दुनिया भर में करीब चार अरब लोग साक्षर हैं और 77.6 करोड़ लोग न्यूनतम साक्षरता दर से भी नीचे हैं. इसका मतलब यह है कि हर पांच में से एक व्यक्ति निरक्षर है जब लोग साक्षर होंगे तो उनके पास रोजगार होंगे, रोजगार का अर्थ है आमदनी और खुशहाली. अगर खुशहाली होगी तभी हमारा सम्पू.l विकास हो पा,•ा । "ि{ाा के प्रति अलख ज•ाने की ,क छोटी सी कोि"ा"ा हमने की है उम्मीद करते है कि आप सबको पसंद आ, उम्मीद करते हैं जब अगले साल हम साक्षरता दिवस मनाएं तब कोई छोटू, मोनू या अन्य बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो और समाज का एक बड़ा हिस्सा साक्षर कहलाए

स{ारता को बढावा देने के लि, सरकार ने 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इसके साथ–साथ सरकार }ारा

सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मिड–डे–मिल योजना जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं लेकिन इन्हें पूरी तरह से लागू करने में सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि इसके प्रति हमारा उदासीन रवैया रहा है I2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इस कानून को साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

स{ारता को बढावा देने के लि, सरकार ने 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इसके साथ–साथ सरकार }ारासर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मिड–डे–मिल योजना जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं लेकिन इन्हें पूरी तरह से लागू करने में सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि इसके प्रति हमारा उदासीन रवैया रहा है I2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इस कानून को साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.इसके अलावा देश में 1998 में 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' और 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' शुरू किया गया. इसके अलावा संसद ने चार अगस्त, 2009 को बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इस कानून को साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.लेकिन इन सब के बावजूद "दिल्ली अभी दूर" ही दिख रहीहै. अगर युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार के संबंधित कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तब तक हमें साक्षरता के बावजूद बेरोजगारी का सामना करना ही पड़ेगा. आज विश्व आगे बढ़ता जा रहा है और अगर भारत को भी प्रगति की राह पर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो साक्षरता दर में वृद्धि करनी ही होगी. हम अपने आसपास नजर घुमाएं तो बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने ढ़ संकल्प और "ि{ाा के बल पर मनचाही सफलता पाप्त की है। पूर्व रा'ट्पति , पी जे अब्दुल कलाम,लाल बहाद "ाास्=ी जैसे अनेक उदाहरणहमारे सामने है जिन्होंने "ि{ाा के बल पर मनचाही सफलता पाप्त की।

लकडाउन में हुई चूक, केंद्र ने दिल्ली सरकार के दो अधिकारियों को किया निलंबित, दो को थमाया नोटिस

नयी दिल्ली। केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए किए गए बंद के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में ''गंभीर चूक'' के कारण दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया और दो अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के जिन दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, वे अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) और प्रधान सचिव (वित्त) हैं। जिन दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और एसडीएम सीलमपुर हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड–19 को फैलने से रोकने के संबंध में कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। उसने बताया कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ये अधिकारी ऐसा करने में प्रथमष्टया असफल रहे।उल्लेखनीय है कि बंद की घोषणा के बाद से दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है।

हम स्वस्थ तो जग स्वस्थश, प्रधानमंत्री के इस मंत्र को जपना सबकी जिम्मेदारी

कोरोना वायरस ६ ब्टप्क–19 किसी देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। आज हमें एकजुट होकर इस समस्या के सन्दर्भ में जागरूक होना होगा। कोरोना वायरस के दुनिया भर में बढ़ते प्रकोपों को देखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि इस ख तरनाक वायरस का असर समाज में न फैले। इसके लिए सरकार द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करके हम स्वयं को तो ख तरा में डालेंगे ही साथ में पूरे समाज को भी इस महामारी के मुँह में डालने का अपराध करेंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका हैं, पूरा विश्व इस समय बहुत बड़े गम्भीर दौर से गुजर रहा है। जब प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध में प्रभावित नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देश को एहतियात बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के 130 करोड़ों लोगों ने कोरोना वायरस का डटकर मुकाबला किया है। बीते कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसा कि हम बचे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हम निश्चिंत हो गए हैं लेकिन ऐसा सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर बेफिक्र हो जाना सही नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैं कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। पीएम ने कहा कि इस तरह की वैश्विक महामारी में, एक ही मंत्र काम करता है– हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत में इस महामारी से बचने के जो प्रयास किये जा रहे हैं उनकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर सार्क देशों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इस महामारी से बचने के उपायों पर चर्चा की थी। सभी देशों ने इस मामले में सभी देशों को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री की इस पहल से साबित होता है कि भारत ना सिर्फ अपनी धरती पर कोरोना का जंग लड़ने के लिए तत्पर है बल्कि अपने आसपास के देशों को भी हर सम्भव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नाम अपना संदेश दिया कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोग थोड़ी–सी भी अगर सतर्कता बरतेंगे तो हम इस महामारी से जंग जीत लेंगे। विभिन्न देशों में इस वायरस को लेकर दिन–रात काफी शोध किये जा रहे हैं उन शोधों से यह बात निकल करके सामने आई है कि नरम सतह पर कोरोना वायरस का दो दिन तक जिन्दा रहता है और कठोर सतह पर यह नौ दिन तक भी जिन्दा रह सकता है। इस हिसाब से वो हवा में यह तीन घण्टे से ज्यादा और ताँबे व शीशे में इसकी मौजूदगी चार या पांच घण्टे से ज्यादा देर तक नहीं हो सकती है। आईये आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि जनता कर्फ्यू में घर पर ही रहेंगे। आज ही नहीं बल्कि जब तक कोरोना वायरस समाप्त न हो जाए तब तक घर से बाहर ना निकलें, बेहद जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलेंगे। ऐसा करने से हम स्वयं की रक्षा नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की रक्षा करेंगे और हमें उन सेवा कर्मियों का भी उत्साहवर्धन करना चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित रखे हुए हैं।

THIS MONTH

August 19, 1991 - Soviet hard-line Communists staged a coup, temporarily removing Mikhail Gorbachev from power. The coup failed within 72 hours as democratic reformer Boris Yeltsin rallied the Russian people. Yeltsin then became the leading power in the country. The Communist Party was soon banned and by December the Soviet Union itself disintegrated.

•••

August 19, 1934 - In Germany, a plebiscite was held in which 89.9 percent of German voters approved granting Chancellor Adolf Hitler additional powers, including the office of president.

•••

August 17, 1998- Bill Clinton became the first sitting President to give testimony before a grand jury in which he, the President, was the focus of the investigation. This resulted from a sweeping investigation of the President by Independent Counsel Ken Starr as well as a private lawsuit concerning alleged sexual harassment by Clinton before he became President. In the evening, President Clinton appeared on national television and gave a speech admitting he had engaged in an improper relationship with former White House intern Monica Lewinsky. The admission occurred several months after a much publicized denial.

Compilation: Honey Shah

BASICS OF MEDIA

Control Room. A room adjacent to the studio in which the director, the technical director, the audio engineer, and sometimes the lighting director perform their various production functions

Master Control . Nerve center for all telecasts. Controls the program input, storage, and retrieval for on-the-air telecasts. Also oversees technical quality of all program material.

•••

Broadband: A high-bandwidth standard for sending information (voice, data, video, and audio) simultaneously over fiber-optic cables

•••

Grayscale: A scale indicating intermediate steps from TV white to TV black. Usually measured with a nine- or seven-step scale.

Demographics: Audience research factors concerned with such data as age, gender, marital status, and income.

•••

Process Message: The message actually received by the viewer in the process of watching a television program.

•••

To Be Continued In Next Issue-

Compilation: Rahul Mittal

बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कूट कूट कर भरा था भगत सिंह में

आज हम जिस आजादी के साथ सुख–चौन की जिन्दगी गुजार रहे हैं, वह असंख्य जाने–अनजाने देशभक्त शूरवीर क्रांतिकारियों के असीम त्याग, बलिदान एवं शहादतों की नींव पर खड़ी है। ऐसे ही अमर क्रांतिकारियों में शहीद भगत सिंह शामिल थे, जिनका नाम लेने मात्र से ही सीना गर्व एवं गौरव से चौड़ा हो जाता है। उनका जन्म 27 सितम्बर, 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गाँव (पाकिस्तान) में एक परम देशभक्त परिवार में हुआ। सरदार किशन सिंह के घर श्रीमती विद्यावती की कोख से जन्मे इस बच्चे को दादा अर्जुन सिंह व दादी जयकौर ने 'भागों वाला' कहकर उसका नाम 'भगत' रख दिया। बालक भगत को भाग्य वाला बच्चा इसीलिए माना गया था, क्योंकि उसके जन्म लेने के कुछ समय पश्चात् ही, स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण लाहौर जेल में बंद उनके पिता सरदार किशन सिंह को रिहा कर दिया गया और जन्म के तीसरे दिन दोनों चाचाओं को जमानत पर छोड़ दिया गया।

इसे भी पढ़ेंरू रमन प्रभाव को सदैव याद रखने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

भगत सिंह का बचपन

बालक भगत सिंह में देशभक्त परिवार के संस्कार कूट–कूटकर भरे हुए थे। एक बार उनके पिता सरदार किशन सिंह उन्हें अपने मित्र मेहता के खेत में लेकर चले गए। दोनों मित्र बातों में मशगूल हो गए। इस बीच भगत सिंह ने खेल–खेल में खेत में छोटी–छोटी डोलियों पर लकड़ियों के छोटे छोटे तिनके गाड़ दिए। यह देखकर मेहता हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा कि यह क्या बो दिया है, भगत?बालक भगत ने तपाक से उत्तर दिया कि 'मैंने बन्दूकें बोई हैं। इनसे अपने देश को आजाद कराऊंगा'। कमाल की बात यह है कि उस समय भगत की उम्र मात्र तीन वर्ष ही थी। भारत माँ को परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले इस लाल की ऐसी ही देशभक्ति के रंग में रंगी अनेक मिसालें हैं।

पाँच वर्ष की आयु हुई तो उनका नाम पैतृक बंगा गांव के जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल में लिखाया गया। जब वे ग्यारह वर्ष के थे तो उनके साथ पढ़ रहे उनके बड़े भाई जगत सिंह का असामयिक निधन हो गया। इसके बाद सरदार किशन सिंह सपरिवार लाहौर के पास नवाकोट चले आए। प्राइमरी पास कर चुके बालक भगत सिंह को सिख परम्परा के अनुसार खालसा–स्कूल की बजाय राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लाहौर के डी.ए.वी. स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। इसी दौरान 13 अप्रैल, 1919 को वैसाखी वाले दिन 'रौलट एक्ट' के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में भारी सभा हुई। जनरल डायर के क्रूर व दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताड़बतोड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस अत्याचार ने देशभर में क्रांति की आग को और भड़का दिया।

भगत सिंह ने ली थी शपथ

भगत सिंह ने अमृतसर के जलियांवाला बाग की रक्त–रंजित मिट्टी की कसम खाई कि वह इन निहत्थे लोगों की हत्या का बदला अवश्य लेकर रहेगा। सन् 1920 में गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया और देशवासियों से आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ दें व सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दे दें। उस समय नौंवी कक्षा में पढ़ रहे भगत सिंह ने सन् 1921 में गांधी जी के आह्वान पर डी.ए.वी. स्कूल को छोड़ लाला लाजपतराय द्वारा लाहौर में स्थापित नैशनल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। इस कॉलेज में आकर भगत सिंह यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, रामकिशन, तीर्थराम, झण्डा सिंह जैसे क्रांतिकारी साथियों के सम्पर्क में आए। कॉलेज में लाला लाजपत राय व परमानंद जैसे देशभक्तों के व्याख्यानों ने देशभक्ति का अद्भुत संचार किया। कॉलेज के प्रो. विद्यालंकार जी भगत सिंह से विशेष स्नेह रखते थे। वस्तुतः प्रो. जयचन्द विद्यालंकार ही भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे। भगत सिंह उन्हीं के दिशा–निर्देशन में देशभक्ति के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते थे।

शादी से कर दिया था इंकार

इसी समय घरवालों ने भगत सिंह पर शादी का दबाव डाला तो उन्होंने विवाह से साफ इनकार कर दिया। जब हद से ज्यादा दबाव पड़ा तो देशभक्ति में रमे भगत सिंह देश की आजादी के अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से 1924 में बी.ए. की पढ़ाई अधूरी छोड़कर कॉलेज से भाग गए। फिर वे केवल और केवल देशभक्तों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के संघर्ष में जूट गए। कॉलेज से भागने के बाद भगत सिंह सुरेश्चन्द्र भट्टाचार्य, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आए। इसी के साथ भगत सिंह उत्तर प्रदेश व पंजाब के क्रांतिकारी युवकों को संगठित करने में लग गए। इसी दौरान भगत सिंह ने 'प्रताप' समाचार पत्र में बतौर संवाददाता अपनी भूमिका खूब निभाई। इन्हीं गतिविधियों के चलते भगत सिंह की मुलाकात भारतीय इतिहास के महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद से हुई।

भगत सिंह के परिवार वालों ने काफी खोजबीन करके भगत सिंह से लिखित वायदा किया कि वह घर वापिस आ जाए, उस पर शादी करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। परिवार वालों के इस लिखित वायदे व दादी जी के सख्त बीमार होने के समाचार ने भगत सिंह को वापिस घर लौटने के लिए बाध्य कर दिया। घर आकर वे पंजाब भर में घूम–घूमकर समाज की समस्याओं से अवगत होने लगे। सन् 1925 के अकाली आन्दोलन ने भगत सिंह को फिर सक्रिय कर दिया। अंग्रेज सरकार ने झूठा केस तैयार करके भगत सिंह के नाम गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर दिया। भगत सिंह पंजाब से लाहौर पहुंच गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होकर अंग्रेज सरकार की नाक में दम करने लगे।

क्रांतिकारी बनने की दासतां

1 अगस्त, 1925 को 'काकोरी–काण्ड' हुआ। 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सदस्यों द्वारा पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से हरदोई से लखनऊ जा रही 8 डाऊन रेलगाड़ी के खजाने को लूट लिया गया। इस काण्ड में कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए। पकड़े गए क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए भगत सिंह ने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो सकी। मार्च, 1926 में उन्होंने लाहौर में समान क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवकों को संगठित करके 'नौजवान सभा' का गठन किया और इसके अध्यक्ष का उत्तरदायित्व रामष्ण को सौंप दिया। रामष्ण औपचारिक अध्यक्ष थे, जबकि मूल रूप से संचालन भगत सिंह स्वयं ही करते थे। फिर इसकी शाखाएं देश के अन्य हिस्सों में भी खोली गईं।

जून, 1928 में इसी तर्ज पर भगत सिंह ने लाहौर में ही 'विद्यार्थी यूनियन' बनाई और क्रांतिकारी नौजवानों को इसका सदस्य बनाया। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह के कारनामों से बौखलाई हुई थी। वह उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ़ रही थी। उसे यह बहाना 1927 के दशहरे वाले दिन मिल भी गया। जब भगत सिंह तितली बाग से लौट रहे थे तो किसी ने दशहरे पर लगे मेले में बम फेंक दिया। भगत सिंह पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वस्तुतः पुलिस के इशारों पर वह बम चन्नणदीन नामक एक अंग्रेज पिट्ठू ने फेंका था। भगत सिंह को गिरफ्तार करके बिना मुकद्मा चलाए उन्हें लाहौर जेल में रखा गया और उसके बाद उन्हें बोस्टल जेल भेज दिया गया। पुलिस की लाख साजिशों के बावजूद भगत सिंह जमानत पर छूट गए। जमानत मिलने के बाद भी भगत सिंह सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे। 8 अगस्त, 1928 को देशभर के क्रांतिकारियों की बैठक फिरोजशाह कोटला में बुलाई गई। भगत सिंह के परामर्श पर 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' का नाम बदलकर 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रख दिया गया। इस बैठक में क्रांतिकारियों ने कई अहम् प्रस्ताव पारित किए। एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय आगरा से झांसी कर दिया गया। भगत सिंह ने कई अवसरों पर बड़ी चालाकी से वेश बदल कर अंग्रेज सरकार को चकमा दिया। 30 अक्तूबर, 1928 को लाहौर पहुंचे साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपतराय के नेतृत्व में भगत सिंह सहित समस्त क्रांतिकारियों व देशभक्त जनता ने डटकर किया। पुलिस की दमनात्मक कार्यवाही में लाला जी को गंभीर चोटें आईं और लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 17 नवम्बर, 1928 को लाला जी स्वर्ग सिधार गए। क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। इस कार्यवाही के सूत्रधार स्कॉट को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसम्बर, 1928 को व्यूह रचा, लेकिन स्कॉट की जगह साण्डर्स धोखे में मार दिया गया। इस काम को भगत सिंह ने जयगोपाल, राजगुरु आदि के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद तो पुलिस भगत सिंह के खून की प्यासी हो गई।

बम फेंकने की योजना बनाई

आगे चलकर इन्हीं देशभक्त व क्रांतिकारी भगत सिंह ने कुछ काले बिलों के विरोध में असेम्बली में बम फेंकने जैसी ऐतिहासिक योजना की रूपरेखा तैयार की। क्रांतिकारियों से लंबे विचार–विमर्श के बाद भगत सिंह ने स्वयं बम फेंकने की योजना बनाई, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने उनका सहयोग किया। 'बहरों को अपनी आवाज सुनाने के लिए' भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, 1929 को निश्चित समय पर पूर्व तय योजनानुसार असैम्बली के खाली प्रांगण में हल्के बम फेंके, समाजवादी नारे लगाए, अंग्रेजी सरकार के पतन के नारों को बुलन्द किया और पहले से तैयार छपे पर्चे भी फेंके। योजनानुसार दोनों देशभक्तों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वे खुलकर अंग्रेज सरकार को न्यायालयों के जरिए अपनी बात समझा सकें।

इंकलाब जिन्दाबाद

7 मार्च, 1929 को मुकद्मे की सुनवाई अतिरिक्त मजिस्ट्रट मिस्टर पुल की अदालत में शुरू हुई। दोनों वीर देशभक्तों ने भरी अदालत में हर बार 'इंकलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाते हुए अपने पक्ष को रखा। अदालत ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत मामला बनाकर सेशन कोर्ट को सौंप दिया। 4 जून, 1929 को सेशन कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए। क्रांतिकारी भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने हर आरोप का सशक्त खण्डन किया। अंत में 12 जून, 1929 को अदालत ने अपना 41 पृष्ठीय फैसला सुनाया, जिसमें दोनों क्रांतिकारियों को धारा 307 व विस्फोटक पदार्थ की धारा 3 के अन्तर्गत उम्रकैद की सजा दी। इसके तुरंत बाद भगत सिंह को पंजाब की मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेन्ट्रल जेल में भेज दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। अंततः 13 जनवरी, 1930 को हाईकोर्ट ने भी सुनियोजित अंग्रेजी षड़यंत्र के तहत उनकी अपील खारिज कर दी। इसी बीच जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी

मृत्युदंड की सजा

इसी दौरान 'साण्डर्स–हत्या' केस की सुनवाई शुरू की गई। एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। अपने मनमाने फैसले देकर अदालत ने भगत सिंह के साथ राजगुरु व सुखदेव को लाहौर षड़यंत्र केस में दोषी ठहराक सजा ए मौत का हुक्म सुना दिया। पं. मदन मोहन मालवीय ने फैसले के विरुद्ध 14 फरवरी, 1931 को पुनः हाईकोर्ट में अपील की। लेकिन अपील खारिज कर दी गई। जेल में भगत सिंह से उनके परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया गया। भगत सिंह का अपने परिवार के साथ अंतिम मिलन 3 मार्च, 1931 को हो पाया था। इसके बीस दिन बाद 23 मार्च, 1931 को जालिम अंग्रेजी सरकार ने इन क्रांतिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व ही फांसी के फन्दे पर लटका दिया और देश में कहीं क्रांति न भड़क जाए, इसी भय के चलते उन शहीद देशभक्तों का दाह संस्कार भी फिरोजपुर में चुपके–चुपके कर दिया। इस तरह सरदार भगत सिंह 'शहीदे आजम' के रूप में भारतीय इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गये। कल भी सरदार भगत सिंह सबके आदर्श थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे, क्योंकि उन जैसा क्रांतिवीर न कभी

WhatsApp पर आया डार्क मोड, अब हर कोई कर सकेगा इस्तेमाल

साक्षरता सिर्फ किताबी शिक्षा प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होती बल्कि साक्षरता का तात्पर्य लोगों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरुकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बनाना है. साक्षरता गरीबी उन्मूलन, लिंग अनुपात सुधारने, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से निपटने में सहायक और समर्थ है. आज विश्व में साक्षरता दर सुधरी जरूर है फिर भी शत–प्रतिशत से यह कोसों दूर है. वैश्विक स्तर पर देखें तो हम पाएंगे कि दुनिया भर में करीब चार अरब लोग साक्षर हैं और 77.6 करोड़ लोग न्यूनतम साक्षरता दर से भी नीचे हैं. इसका मतलब यह है कि हर पांच में से एक व्यक्ति निरक्षर है जब लोग साक्षर होंगे तो उनके पास रोजगार होंगे, रोजगार का अर्थ है आमदनी और खुशहाली. अगर खुशहाली होगी तभी हमारा सम्पू.ा विकास हो पा,• । ि"{ाा के प्रति अलख ज•ाने की ,क छोटी सी को"ा"ा हमने की है उम्मीद करते है कि आप सबको पसंद आ, उम्मीद करते हैं जब अगले साल हम साक्षरता दिवस मनाएं तब कोई छोटू, मोनू या अन्य बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो और समाज का एक बड़ा हिस्सा साक्षर कहलाए

स{ारता को बढावा देने के लि, सरकार ने 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इसके साथ–साथ सरकार }ारा

सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मिड–डे–मिल योजना जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं लेकिन इन्हें पूरी तरह से लागू करने में सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि इसके प्रति हमारा उदासीन रवैया रहा है |2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इस कानून को साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

सरिता को बढावा देने के लिए, सरकार ने 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इसके साथ–साथ सरकार सरासर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मिड–डे–मिल योजना जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं लेकिन इन्हें पूरी तरह से लागू करने में सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि इसके प्रति हमारा उदासीन रवैया रहा है |2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इस कानून को साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.इसके अलावा देश में 1998 में 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' और 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' शुरू किया गया. इसके अलावा संसद ने चार अगस्त, 2009 को बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को स्वीति दे दी. एक अप्रैल, 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी होगी और हर बच्चे का मूल अधिकार होगा. इस कानून को साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.लेकिन इन सब के बावजूद "दिल्ली अभी दूर" ही दिख रहीहै. अगर युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार के संबंधित कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तब तक हमें साक्षरता के बावजूद बेरोजगारी का सामना करना ही पड़ेगा. आज विश्व आगे बढ़ता जा रहा है और अगर भारत को भी प्रगति की राह पर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो साक्षरता दर में वृद्धि करनी ही होगी. हम अपने आसपास नजर घुमाएं तो बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने ढ़ संकल्प और ि"{ाा के बल पर मनचाही सफलता पाप्त की है। पूर्व रा'ट्पति , पी जे अब्दुल कलाम,लाल बहाद "ाास्=ी जैसे अनेक उदाहरणहमारे सामने है जिन्होंने ि"{ाा के बल पर मनचाही सफलता पाप्त की।

Y-B

Digital Marketing

Digital Marketing

Vol. 16 **No.** 3
RNI No.: DEL/BIL/2004/14598
Publisher: Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
Editor: Rahul Mittal,Bal krishna Mishra responsible for selection of News under PRB Act. All rights reserved.

IMPORTANT QUOTES

"The opposite of a correct statement is a false statement. The opposite of a profound truth may well be another profound truth."

Niels Bohr

•••

"In science one tries to tell people, in such a way as to be understood by everyone, something that no one ever knew before. But in poetry, it's the exact opposite."

Paul Dirac

•••

"Anyone who considers arithmetical methods of producing random digits is, of course, in a state of sin."

John von Neumann

•••

"It is unbecoming for young men to utter maxims."

Aristotle

•••

"Grove giveth and Gates taketh away."

Bob Metcalfe

•••

Compilation: Priya Kumari

WINNERS v/s LOOSERS Part-90

Winners use hard arguments but soft words; Losers use soft arguments but hard words.

•••

Winners stand firm on values but compromise on petty things; Losers stand firm on petty things but compromise on values.

•••

Winners follow the philosophy of empathy: "Don't do to others what you would, not want them to do to you"; Losers follow the philosophy, "Do it to others before they do it to you."

•••

Winners make it happen; Losers let it happen.

•••

The Winner is always part of the answer; The Loser is always part of the problem.

•••

The Winner always has a program; The Loser always has an excuse.

•••

To Be Continued In Next Issue-

Compilation: Rahul Mittal

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **youngstertias@gmail.com**